भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 867
जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्णय

867. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार 2025 से केवल इलेक्ट्रिक दो-पहिया और 2023 से केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों को अनुमति देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके लिए ऑटो विनिर्माताओं को कोई राजसहायता/प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (घ): जी, नहीं। सरकार द्वारा वर्ष 2025 से केवल इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों और वर्ष 2023 से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को अनुमति हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के विचारार्थ नहीं है। इस प्रकार, ऑटो विनिर्माताओं को प्रोत्साहन/राजसहायता उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

******